न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं05, गाजियाबाद।

एस.सी.सी. नं0 17/2021
वसीम आदि बनाम युसुफ आदि

दिनांक- 03.04.2023.

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली आज आदेश-8 नियम-1 सी.पी.सी. पर आदेश हेतु नियत है। विगत तिथि पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.09.2022-आपत्ति दिनांकित-20.09.2022,प्रतिआपत्ति 7 ग.2 एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश-8, नियम-1 सी.पीसी.

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.09.2022 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त नहीं किया गया है, अतः प्रतिवादी प्रतिवादपत्र दाखिल कर रहा है, जिसे पत्रावली पर लिये जाने की प्रार्थना की है।

वादीगण-वसीम, हसीन व समीर व श्रीमती बानो परवीन की ओर से इस पर आपत्ति दिनांकित 20.09.2022 प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण ओर से दाखिल किये गये वाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से सम्मन दिनांक-11.08.2021 के लिए जारी, तामील हो गये थे, जिस पर दिनांक 06.09.2021 को प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र मय वकालतनामा न्यायालय में दाखिल किया गया, इस दौरान प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया और दिनांक- 14.12.2021 को प्रतिवादी का स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया तथा न्यायालय में नियत तिथियों दिनांक- 06.1.2022, 25.01.2022 तथा 29.03.2022 तथा 26.04.2022, 19.05.2022, 4.07.2022, 27.07.2022 तथा 18.08.2022 तक भी प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया, तथा दिनांक-06.09.2022 को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है, जिसको दाखिल करने की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, जबकि प्रतिवादपत्र दाखिल करने का निर्धारित समय तीस दिन तथा अधिकतम समय न्यायालय की अनुमति के उपरान्त 90 दिन भी नोटिस की तामील उपरान्त पूर्ण चुके हैं, 90 दिन के पश्चात् किसी भी आधार पर या सूरत में प्रतिवादपत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादपत्र दाखिल करने का कोई कानूनी औचित्य या आधार नहीं रह गया है। प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र दि0 06.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वाद की प्रथम सुनवाई व वकालतनामा दाखिल करने के समय भी वाद में विवादित किरायेदारी दुकान का देय किराया तथा अदा कोर्टफीस व ब्याज तथा अधिवक्ता फीस तथा अन्य हर्जा खर्चा आदि भी धारा- 20(4)एक्ट 13 सन 1972 के अनुसार प्रतिवादी की ओर से जमा नहीं किया गया है इसलिए प्रतिवादी लगातार नादेहिंदा किरायेदार(व्यतिक्रमी) है इसलिए भी प्रतिवाद करने का अवसर समाप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आपत्तियों के समर्थन में वादी की ओर से शपथ भी प्रस्तुत किया गया है।

पुनः प्रतिवादी की ओर से प्रतिआपत्ति 7 ग. दाखिल कर, प्रतिवादी की ओर से वाद दिनांक-05.07.2021 को रजिस्टर्ड होने के पश्चात् से नियत दिनांकों का सकारण विवरण देते हुए प्रतिवादी द्वारा दिनांक- 06.09.2022 को प्रतिवादपत्र दाखिल किया, प्रतिआपत्ति में यह भी कहा गया है कि भिन्न-भिन्न दाँकों पर अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत रहने व कोरोना काल के कारण सुनवाई न होने के कारण प्रतिवादपत्र दाखिल करने में असमर्थ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कैलाश बनाम नान्हकु व अन्य 2005(4 एस.सी.सी. 480)** के मामले में निर्धारित किया है कि आदेश-8 नियम-1 में कहा गया है कि अदालत 90 दिन की अवधि की अधिकतम सीमा के पश्चात भी जबावदावा को स्वीकार किया जा सकता है।

वादी का यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी डिफाल्टर है, जब कि प्रतिवादी द्वारा विवादित दुकान का किराया वादी द्वारा किराया न लिये जाने पर, अक्टूबर 2022 तक का चालान द्वारा पत्रावली में दाखिल कियाजा चुका है, अतः वादी की आपत्ति निरस्त की जाकर, प्रतिवादपत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, जिसके समर्थन में प्रतिवादी यूसुफ की ओर से शपथपत्र भी दाखिल किया गया ।

पुनश्च वादी पक्ष की ओर आदेश-8 नियम -1 सी.पी.सी., के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर, प्रतिवादपत्र का अवसर समाप्त करने हेतु आपत्ति दिनांकित- 20.09.2022 के कथनों को दुहराते हुए प्रतिवाद करने का अवसर कानूनी रूप से समाप्त (डिफेन्स स्ट्रक ऑफ) किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश-8 नियम -1 सी.पी.सी., के प्रार्थनापत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रतिआपत्ति करते हुए प्रतिआपत्ति 7 ग. में किये गये कथनों को दुहराया है तथा यह भी कथन किया है कि 90 की अवधि की अधिकतम सीमा के पश्चात भी जबावदावा को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश-8 नियम -1 सी.पी.सी. वास्ते प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र का अवसर करने, निरस्त कर प्रतिवादपत्र को पत्रावली पर लिये जाने की प्रार्थना की ।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि प्रतिवादी पक्ष को प्रतिवाद करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होने पर भी उसने विहित समय के अन्तर्गत प्रतिवादपत्र योजित नहीं किया, इस कारण प्रतिवादी का प्रतिवाद करने का अवसर अन्तर्गत आदेश-8 नियम- 1 सी.पी.सी. समाप्त कर, प्रतिवादपत्र का निरस्त किया जाना चाहिए, जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भिन्न-भिन्न तिथियों पर अधिवक्तागण की हड़ताल रहने, कोरोना काल में सुनवाई न होने के कारण, प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है तथा अवसर मिलते ही उनकी ओर से दिनांक- 06.09.2022 को प्रतिवादपत्र दाखिल करने की अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, अतः प्रतिवादपत्र को पत्रावली में लिया जाकर, मामले को गुण-दोष पर सुना जाना चाहिए।

प्रस्तुत मामले में वादी की ओर से आदेश-8 नियम- 1 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रतिवादीगण का प्रतिवादपत्र प्रस्तुत अवसर समाप्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 06.09.2022 से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र दाखिल करने का अवसर न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया। आदेश-8 नियम- 1 सी.पी.सी के अन्तर्गत नोटिस की तामील के उपरान्त 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है तथा न्यायालय की अनुमति से यह सीमा 90 दिन तक की अवधि के अन्तर्गत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु दी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कैलाश बनाम नान्हकु व अन्य 2005(4 एस.सी.सी. 480)** के अनुसार 90 दिन की अवधि की अधिकतम सीमा के पश्चात भी जबावदावा स्वीकार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की ओर से समस्त दिनांकों का सकारण विवरण दिया गया है कि वाद दिनांक- 05.07.2021 को रजिस्टर हुआ, दिनांक- 02.08.2021 की तिथि नियत की गयी,पत्रावली दिनांक- 11.08.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें नो एडवर्स का प्रस्ताव था। अग्रेतर नियत तिथि 06.09.2021 को पी.ओ. ट्रेनिंग पर थे, अग्रिम नियत तिथियों दिनांक- 10.09.2021, 11.10.2021,29.10.2021, 09.11.2021 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, अग्रेतर नियत तिथि 17.11.21 को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत थे, अग्रेतर नियत दि0 14.12.2021 को प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया जिसमें दि0 06.01.2022 नियत की गयी। दिनांक- 06.01.2022 को अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे। अग्रेतर नियत तिथि 25.01.2022 को कोविड-19 के कारण सुनवाई नहीं हुई, दिनांक- 29.03.2022 को दिनांक- 26.04.2022 तक जबाव देने का अवसर दिया गया। दिनांक- 26.04.2022 को अधिवक्तागण हड़तार पर रहे और प्रतिवादी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया। अग्रेतर नियत दिनांक- 19.05.2022 को नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा दिनांक- 04.07.2022 को पुनः नया अधिवक्ता नियुक्त किया, दिनांक- 04.07.2022 को दिनांक- 27.07.2022 नियत

की गयी तथा उक्त तिथि को भी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे, जिसकारण प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया जा सका।अग्रेतर नियत दिनांक- 18.08.2022 को प्रतिवादी की ओर स्थगन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक- 06.09.2022 प्रतिवादपत्र हेतु नियत की गयी। दिनांक- 06.09.2022 को प्रार्थनापत्र के साथ प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया।

इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल न किये जाने का दिनांकों के अनुक्रम में पूर्ण विवरण दिया गया है। यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र निर्धारित समय के अन्तर्गत दाखिल नहीं किया जा सका है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल कर दिया गया है। जहाँ तक प्रतिवादी के डिफाल्टर होने का प्रश्न है, उसके द्वारा चालान के माध्यम से किराया जमा किया जा रहा है और चालान की प्रति पत्रावली में दाखिल भी की है।

मामले में उभय पक्ष को सुना जाकर, विवाद का समीचीन निस्तारण गुण-दोष के आधार पर ही किया जाना न्यायोचित एवं न्याय की मंशा के अनुकूल है, अन्यथा की स्थिति में वादों की बहुलता एवं मामले में जटिलता उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक प्रतिवादपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, तो वादी को इसके लिए हजार्ना से प्रतिपूर्ति किया जा सकता है।

अतः मामले के समग्र विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र दिनांकित-06-09-2022 स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण का प्रतिवादपत्र पत्रावली में लिया जाय, तदनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश- 8 नियम -1 सी.पी.सी. एवं प्रार्थनापत्र दिनांकित-06-09-2022 के विरूद्ध प्रस्तुत वादीगण की आपत्तियाँ निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र दिनांकित-06-09-2022 अंकन 1000/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र दिनांकित-06-09-2022 अंकन 1000/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिवादपत्र पत्रावली में रखा जाय।

तदनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश- 8 नियम -1 सी.पी.सी. एवं प्रार्थनापत्र दिनांकित-06-09-2022 के विरूद्ध प्रस्तुत वादीगण की आपत्तियाँ निरस्त की जाती हैं।

(पवन कुमार शर्मा II),
अपर जिला जज कोर्ट सं0 5,
गाजियाबाद।